27

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3924–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 25/6/13 पारित द्वारा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 21/2012–13/निगरानी.

1– रणजीतसिंह पुत्र कर्मसिंह
2– मलकीतसिंह पुत्र कर्मसिंह
3– गुरूवेल सिंह पुत्र कर्मसिंह
4– खुमानसिंह पुत्र दीपा
5– श्रीमती सुखवीर कौर पत्नी रणजीतसिंह
6– श्रीमती सुरजीत कौर (फोत) वारिस '
अ– बल्देव सिंह पुत्र कर्मसिंह
ब– कृपालसिंह पुत्र बल्देव सिंह
स– जगतार सिंह पुत्र बल्देव सिंह
द– सुखवन्त सिंह पुत्र बल्देव सिंह
ई– गुरूमीत सिंह उर्फ गुरूजीत सिंह
फ– कुलखन
पुत्रगण बलदेव सिंह
निवासी ग्राम कर्मसिंह का डेरा
मौजा सुमरेरा तहसील वीरपुर
जिला श्योपुर ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– श्रीनिवास पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहम्ण
निवासी ग्राम बरोल तहसील वीरपुर
जिला श्योपुर
3– रामकिशोर पुत्र भूरा आदिवासी
निवासी ग्राम धोकरी का सहराना
ग्राम सुमरेरा वीरपुर जिला श्योपुर ----- अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल एवं श्री महेश गोयल.
अनावेदक क्रं0 1 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी.

अनावेदक क्रमांक 3(इंटरवीनर) की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 4 - 7 - 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 21/2012-13/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-6-13 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, टप्पा वीरपुर परगना विजयपुर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/94-95/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 10-1-1996 द्वारा ग्राम समरेरा स्थित भूमि में से आवेदक गुरवेलसिंह पुत्र करनसिंह को भूमि सर्वे नंबर 520 मिन रकबा 3 बीघा, रणजीतसिंह पुत्र करनसिंह को भूमि सर्वे नंबर 520 मि. रकबा 3 बीघा, सर्वे नं 525/1 रकबा 3 बीघा, सुखवीर कौर पत्नी रणजीतसिंह को भूमि सर्वे नंबर 527 मि. रकबा 5 बीघा, मल्कीतसिंह पुत्र करनसिंह को भूमि सर्वे नंबर 527 मि. रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, भूमि सर्वे नंबर 520 मि. रकबा 4 विस्वा का व्यवस्थापन किया गया । आवेदकगण के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी उक्त आदेश द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन किया गया । इसी प्रकार नायब तहसीलदार, वीरपुर तहसील विजयपुर द्वारा प्र0क्र0 21/2005-06/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 5-5-06 द्वारा ग्राम समरेरा स्थित भूमि में से आवेदक सरजीत कौर पत्नी बल्देव सिंह को सर्वे नंबर 543 मि. रकबा 1.045 मलकीतसिंह पुत्र कर्मसिंह को सर्वे नंबर 543 मि. रकबा 0.627 का व्यवस्थापन किया गया । इनके अतिरिक्त तीन अन्य व्यक्तियों को भी सर्वे नं. 536, 543 मि., 555/4 एवं सवे नं. 597 का व्यवस्थाप किया गया ।

अनावेदक क्रमांक 2 एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सितम्बर-2010 में कलेक्टर, श्योपुर को इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम सुमरेरा प.ह.नं. 9 तहसील वीरपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 543, 520 एवं 527 स्थित है जिसमें वे 50 वर्षो से अधिक

समय से काबिज हैं । शिकायत में उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य सर्वे नबरों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि बल्देव सिंह पुत्र कर्मसिंह द्वारा पटवारी से सांठगांठ कर स्वयं एवं अपने रिश्तेदारों के नाम से भूमि का पट्टा कराने, श्रीनिवास पुत्र मिश्रीलाल, खुमान पुत्र दीपा बंजारा द्वारा षड़यंत्र पूर्वक पट्टा कराने का लेख करते हुए फर्जी पट्टों की जांच कर भूमि उन्हें दिलाई जाने का अनुरोध किया गया । उक्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर से जांच कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 8-4-2011 को प्रस्तुत किया गया । प्रतिवेदन में आवेदकों के पक्ष में किए गए वंटन/व्यवस्थापन को अवैध रूप से किया जाना मानते हुए प्रकरण को संहिता की धारा 50 के तहत स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया जाना प्रतिवेदित किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदकों का कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया तदुपरांत अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 5-12-12 द्वारा प्रकरण कमांक 77/94-95/अ-19 व प्र0क0 21/05-06/अ-19 द्वारा दिए गए पट्टों में से शिकायत में उल्लखित व्यक्तियों आवेदकगण एवं खुमान पुत्र दीपा बंजारा तथा श्रीनिवास पुत्र मिश्रीलाल के पक्ष में किए पट्टों को निरस्त करते हुए भूमि शासकीय दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं । इस आदेश के विरूद्ध केवल आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि आवेदकगण को वर्ष 1996 एवं 2006 में विधिवत आलोच्य भूमि का पट्टा/व्यवस्थापन किया गया है । व्यवस्थापन करने पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार जारी कर मौके का स्थल निरीक्षण किया गया एवं मौजा पटवारी एवं अन्य साक्षियों के कथन लिए जाने के उपरांत भूमि का वंटन किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि भूमि सर्वे नंबर 219 व 220 शासकीय नहीं थी और ना ही प्र0क0 21/2005-06/अ-19 से श्रीनिवास को वंटित की गई है बल्कि उक्त भूमि श्रीनिवास के

द्वारा पूर्व भूमिस्वामी रामहेत पुत्र भोलू से सन् 1975 में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा क्रय की गई थी जिसे आवेदक क्रमांक 6(अ) बलदेव सिंह द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 23-12-12 द्वारा क्रय किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्र0क्र0 77/1994-95/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 10-1-1996 को म0प्र0 शासन के 2003 के पत्र के आधार पर निरस्त करना पूर्णत अवैधानिक है ।

यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आवेदकों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को वंटन/व्यवस्थापन में प्राप्त होने के उपरांत प्रीमियम राशि जमा की गई है तथा कठिन परिश्रम एवं धनराशि व्यय करके उसके उपजाऊ बनाया है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी में लिया गया है जो अवैधानिक है, क्योंकि शिकायतकर्ता को शिकायत का कोई अधिकार नहीं था ना ही वह विचारण न्यायालय में आवंटन प्रकरण में पक्षकार था और ना ही उसका कब्जा था तथा उसके द्वारा आवंटन हेतु कोई आवेदन भी पेश नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा भी आवेदकों का प्रश्नाधीन भूमि पर आधिपत्य होना स्वीकार किया है । आवेदकगण एवं शिकायतकर्ता के मध्य पूर्व से व्यवहार वाद प्रचलित है, शिकातकर्ता द्वारा शिकायत रंजिशन पेश की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा शिकायत के आधार पर वर्ष 1996 में पारित आदेश के 14 वर्ष तथा वर्ष 2006 में किए गए व्यवस्थापन आदेश के 4.5 वर्ष बाद तहसील न्यायालय के प्रकरणों को स्वमेव निगरानी में लेते हुए आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26, न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि बंटन/व्यवस्थापन के बाद आवेदकों ने काफी धन एवं श्रम

लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है सिंचाई के साधन किये हैं । 14 वर्ष उपरांत व्यवस्थापन रद्द करना न्यायदान नहीं है । यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई थी तो उक्त त्रुटि के कारण आवेदकों को वंचित करना न्यायोचित नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 2009 आर.एन. 251 इंदारसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 3 इंटरवीनर की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकों वर्ष 1984 के पूर्व का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा था इसका कोई प्रमाण नहीं है । पट्टे का मूल अभिलेख ही उपलब्ध नहीं है, इससे स्पष्ट है कि पट्टे की कार्यवाही फर्जी है । प्रकरण में जो जांच प्रतिवेदन है उससे स्पष्ट है कि वंटन/व्यवस्थापन कार्यवाही में अनियमितता हुई है अतः अपर कलेक्टर ने तहसील न्यायालय के प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिन्हें स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ जबाव में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मूल अभिलेख न होने के संबंध में दिया गया तर्क निराधार है । इस संबंध में उनके द्वारा कलेक्टर कार्यालय, श्योपुर से दिनांक 10-1-1996 एवं 5-5-06 को नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों की निकाली गई प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गई जो दिनांक 7-8-13 को प्रधान प्रतिलिपिकार कलेक्टर कार्यालय, जिला श्योपुर द्वारा जारी की गई हैं । यह भी कहा गया कि वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा होना विचारण न्यायालय ने प्रमाणित पाया है, इसके उपरांत ही उन्हें वंटन किया गया था । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अन्य अनेक व्यक्तियों को नायब तहसीलदार के द्वारा आवेदकगण के साथ भूमि का वंटन/व्यवस्थापन किया गया था, जिनके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मौन हैं और केवल आवेदकगण के पक्ष में किए गए वंटन/व्यवस्थापन को ही निरस्त किया

गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरूद्ध कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है ।

7/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार, वीरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/94-95/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 10-1-1996 द्वारा आवेदकगण के अतिरिक्त अन्य 24-25 व्यक्तियों को भूमि का वंटन/व्यवस्थापन किया गया है इसी प्रकार आदेश दिनांक 5-5-06 द्वारा आवेदक मलकीत सिंह एवं मृतक सुरजीत कौर के अतिरिक्त अन्य 4 व्यक्तियों को भूमियों का व्यवस्थापन किया गया है । परंतु अपर कलेक्टर द्वारा शिकायत के आधार पर केवल शिकायत में उल्लिखित व्यक्ति आवेदकगण के पक्ष में किए व्यवस्थापनों को ही निरस्त किया गया है, जो प्रथमदृष्टया औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर खुमान पुत्र दीपा को भूमि सर्वे नं. 543 मिन2 रकबा 1.463 हैक्टर तथा तथा श्रीनिवास पुत्र मिश्रीलाल ब्राहमण को भूमि सर्वे नंबर 219 रकबा 0.38, सवे नंब. 220 रकबा 0.67 हैक्टर कुल रकबा 1.05 हैक्टर प्र0क्र0 21/05-06/अ-19 के आधार पर वंटित किया जाना मानते हुए उसे भी शासकीय दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं जबकि नायब तहसीलदार जाने का लेख किया गया है जबकि नायब तहसीलदार द्वारा प्र0क्र0 21/05-06/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 5-5-06 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों व्यक्तियों के पक्ष में भूमि का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार द्वारा प्र0क्र0 21/05-06/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 5-5-06 के द्वारा किया ही नहीं गया है । इससे इस बात को बल मिलता है कि अनुविभागीय अधिकारी बिना किसी प्रकार की जांच किए अपना प्रतिवेदन दिया गया है और अपर कलेक्टर द्वारा भी अभिलेख का अवलोकन किये बिना मनमाने तरीके से आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

8/ जहां तक अनावेदक क्रमांक 3 इंटरवीनर की ओर से दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि वंटन की कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं है, मान्य किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह नहीं कहा गया है कि नायब तहसीलदार के प्रकरण उपलब्ध नहीं है । आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गई हैं जो कलेक्टर कार्यालय द्वारा दिनांक 7-8- 2013 को जारी की

गई हैं, जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है । जहां तक इंटरवीनर का यह तर्क कि उनका प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा है, परंतु इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रमाण पेश नही किया गया है वैसे भी कब्जे के आधार पर इस प्रकरण में उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है ।

9/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 10-1-1996 को 14 वर्ष उपरांत तथा नायब तहसीलदार द्वारा ही दिनांक 5-5-06 को पारित व्यवस्थापन आदेश को 4.5 वर्ष उपरांत शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी में लिये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उक्त अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकता है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । " किंतु वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित अवधि के पश्चात प्रकरण स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जाना विधि की मंशा के विरूद्ध है । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा

प्रारंभ की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

10- प्रकरण में विचार योग्य बिंदु यह भी है नायब तहसीलदार द्वारा भूमि का व्यवस्थापन करने के उपरांत आवेदकों द्वारा कब्जा लेने के बाद उन्होंने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर कृषि योग्य बनाया गया है ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसी भूमि को 14 वर्ष उपरांत पुनः शासकीय घोषित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 2009 आर. एन. 251 (इंदर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 50 - भूमि आदिवासी/आवेदकगण को आवंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई हैं । " इस प्रकरण में अपर कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों को अनदेखा किया गया है । इस कारण उनके आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्र0क0 21/2012-13/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-6-13 एवं अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा प्र0क0 13/2011-12/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-12-2012 अवैधानिक होने से निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर